

आदिवासी चिकित्सा पद्धति की परियोजना को मिली मंजूरी

जागरण रिपोर्टर। सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि देश में प्रचलित पारंपरिक एवं आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन एवं शोध हेतु विश्वविद्यालय के समन्वय चिकित्सा केंद्र के अंतर्गत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 28 जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक प्रभावी चिकित्सा विद्याओं, उनमें प्रयुक्त संसाधनों एवं उनके प्रभावों की मैटिंग करना, विभिन्न पीढ़ियों के बीच मौखिक रूप से इस ज्ञान को सौंपने की कड़ी को टटोलना और इसके अस्तित्व पर संकेत के संभावित कारणों को खोजना भी परियोजना के दायरे में होगा।

संस्कृत और अंग्रेजी के सर्टिफिकेट

पाद्यक्रम भी किए गए अनिवार्य: कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्राध्यापकों को संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के सर्टिफिकेट पाद्यक्रम करने होंगे। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से सभी प्राध्यापक संस्कृत का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम करेंगे। जबकि, अंग्रेजी भाषा की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखकर की गई है। कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि शिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को प्रत्येक वर्ष 4 शोध पत्र लिखने अनिवार्य होंगे। कार्य परिषद के सदस्यों ने इस बात पर भी अपनी सहमति दी है कि ये चारों शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफर्ड जनरल में प्रकाशित कराए जाने होंगे।

सांची विश्वविद्यालय में संस्कृत और अंग्रेजी के प्रमाण-पत्र कोर्स होंगे शुरू

भोपाल। सांची विश्वविद्यालय में संस्कृत और अंग्रेजी के प्रमाण-पत्र कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी चिकित्सा पद्धति की परियोजना को भी स्वीकृति शुक्रवार को विश्वविद्यालय में हुई कार्यपरिषद की बैठक में मिली है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से सभी प्राध्यापक संस्कृत का सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे और अंग्रेजी भाषा की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखकर की गई है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को हर वर्ष चार शोध पत्र लिखने अनिवार्य होंगे। कार्य परिषद के सदस्यों ने इस बात पर भी अपनी सहमति दी है कि यह चारों शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेफर्ड जनरल में प्रकाशित कराने होंगे।

आदिवासी चिकित्सा पद्धति की परियोजना को मंजूरी: कार्यपरिषद सदस्यों ने आदिवासी चिकित्सा पद्धति की परियोजना को संचालित करने के लिए मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय इस परियोजना को संचालित करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, इसको लेकर कई प्रस्ताव भी बनाए गए और समीनार भी किए गए हैं। कार्यपरिषद की बैठक में कुलपति, कुलसचिव और सदस्य मौजूद रहे।

प्राध्यापकों को हर साल प्रकाशित कराने होंगे चार शोध पत्र



सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक हुई। कार्य परिषद ने निर्णय लिया है कि शिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को प्रत्येक वर्ष 4 शोध पत्र लिखने अनिवार्य होंगे। कार्य परिषद के सदस्यों ने इस बात पर भी अपनी सहमति दी है कि ये चारों शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफर्ड जनरल में प्रकाशित कराए जाएंगे। कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्राध्यापकों को संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम करने होंगे।

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से सभी प्राध्यापक संस्कृत का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम करेंगे। जबकि, अंग्रेजी भाषा की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखकर की गई है।

देश में प्रचलित पारंपरिक एवं आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन एवं शोध हेतु विश्वविद्यालय के समन्वित चिकित्सा केंद्र के अंतर्गत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 28 जनजातियों में प्रचलित पारंपरिक प्रभावी चिकित्सा विद्याओं उनमें प्रयुक्त संसाधनों एवं उनके प्रभावों की मैटिंग करना, विभिन्न पीढ़ियों के बीच मौखिक रूप से इस ज्ञान को सौंपने की कड़ी को टटोलना और इसके अस्तित्व पर संकट के समावित कारणों को खोजना भी परियोजना के दावरे में होगा। कार्यपरिषद की बैठक में सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंड का बनाने के उद्देश्य से कई निर्णय लिये गए। सांची विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2017-18 में 76 छात्रों ने एमए, एमफिल और पीएचडी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन एडमिशन लिया है। बौद्ध और भारतीय ज्ञान दर्शन के विभिन्न पाठ्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराते हुए विश्वविद्यालय का दूसरा अकादमिक सत्र 27 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं एमफिल कर रहे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय की आवासीय व्यवस्था में ही रहकर शोध पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

**सांची
विश्वविद्यालय
कार्यपरिषद का
ऐतिहासिक
फैसला**

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

वर्ष-21 अंक- 276

भौपाल, रविवार 30 जुलाई 2017

rashtriyahindimail.com

आक चौथियन मा
न द्वाव, न भेदामा

भौपाल, इंदौर, गालियर और रायगढ़ से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ-12 मूल्य ₹ 2.00

प्राध्यापकों को हर साल प्रकाशित कराने होंगे 4 शोध पत्र

आदिवासी चिकित्सा पद्धति की परियोजना को भी मिली मंजूरी

निज संबाददाता

रायसेन, 29 जुलाई। सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावार रखने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को प्रत्येक वर्ष 4 शोध पत्र लिखने अनिवार्य होंगे।

कार्य परिषद के सदस्यों ने इस बात पर भी अपनी सहमति दी है कि ये चारों शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेफर्म जनरल में प्रकाशित कराए जाने होंगे। कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्राध्यापकों को संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के



सर्टिफिकेट पाद्यक्रम करने होंगे।

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से सभी प्राध्यापक संस्कृत का सर्टिफिकेट पाद्यक्रम करेंगे। जबकि, अंग्रेजी भाषा की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखकर की गई है।

सांची विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2017-18 में

76 छात्रों ने एम.ए, एमफिल और पीएचडी के विभिन्न पाद्यक्रमों में अँनलाइन एडमिशन लिया है। बौद्ध और भारतीय ज्ञान

दर्शन के विभिन्न पाद्यक्रमों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराते हुए विश्वविद्यालय का दूसरा अकादमिक सत्र 27 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं एमफिल कर रहे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय की आवासीय व्यवस्था में ही रहकर शोध पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।